अपील सूचना अधिकार संख्या 79/2020 (RCMS 2020/00136) हरपाल सिंह सुधन पुत्र महताब सिंह जाति ब्राह्मण सिख निवासी चैम्बर नम्बर 5ए, कचहरी परिसर रायसिंहनगर (मोबाईल नं. 96678–61073) बनाम उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

26.08.2020

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी आज स्वयं उपस्थित नहीं हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया गया। **अपीलार्थी ने सूचना का अ**धिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत **लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर के** समक्ष एक आवेदन पत्र प्रस्तुत करके 01 बिन्दु की सूचना चाही थी, जो लोक सूचना अधिकारी द्वारा उसे उपलब्ध नहीं करवाई गई है। इसलिए उसने लोक सूचना अधिकारी से निःशुल्क सूचना उपलब्ध की प्रार्थना की है।

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्री हरपाल सिंह सुधन ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र के द्वारा लोक सूचना अधिकारी के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निम्न सूचना चाही थीः

प्रमाणित प्रति हुक्म एसीआर (जैसा कि संलग्न रजिस्टर अलाटमेंट अहाताजात आबादी में अंकित है– संभवतः सहायक कलक्टर राजस्व, रायसिंहनगर हो सकता है) दिनांक 12.02.1952, जिसकी रूह से ग्राम 22 एनपी तहसील, रायसिंहनगर का अहाता नंबर 25 व 30 वास्ते स्कूल रियायतन दिया गया, की यथासंभव शीघ्र प्रमाणित प्रतिलिपि डाक द्वारा भिजवाए जाने की कृपा की जाए।

सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर ने अपने पत्रांक सू.का.अधि./20/1116 दिनांक 24.08.2020 से अपील के जवाब की प्रति अपीलार्थी को भिजवाते हुए निम्नानुसार जवाब प्रेषित किया है :

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि प्रार्थी हरपाल सिंह सुधन एडवोकेट रायसिंहनगर द्वारा सूचना के अधिकार के तहत रजिस्टर अलाटमेन्ट अहाताजात दिनांक 12.02.1952 जिसकी रूह से ग्राम चक **22 एनपी का अहाता संख्या 25 व 30 से सम्बन्धित रिकार्ड की प्रति चाही गई है जो इस कार्यालय में उपलब्ध नही है।** जो सचनाऐं जिस प्रारूप में आप चाही गई है आरटीआई की धारा 2(च) के तहत देय नही है। राजस्थान सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2 च में सूचना से तात्पर्य किसी भी स्वरूप में कोई भी सामग्री इसमें किसी भी इलेक्ट्रोनिक रूप में धारित अभिलेख, दस्तावेज, ज्ञापन, ईमेल, मत, सलाह, प्रैस, विज्ञप्ति, परिपत्र आदेश लाग बुक, संविदा रिपोर्ट कागज पत्र नमूने, माडल आंकडो संबधी सामग्री शामिल है लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना सृजित करना या सूचना की व्याख्या करना या आवेदक द्वारा उठाई गई समस्याओ का समाधान करना या काल्पिनक प्रश्नो के उत्तर देना अपेक्षित नही हैं। सूचना का सृजन करना अधिनियम के कार्यक्षेत्र से बाहर होने के कारण उपलब्ध नही करवाई जा सकती है।

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

चूंकि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनाओं का जवाब लोक सूचना अधिकारी द्वारा दिनांक 24.08.2020 को दिया जा चुका है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दों में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए। तृतीय पक्ष से सम्बन्धित नहीं होनी चाहिए एवं कार्यालय के कार्य संसाधनों को प्रभावित करने वाली अर्थात विस्तृत नहीं होनी चाहिए। सूचना के रूप में

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

प्रत्यर्थी न तो कोई नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करें जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोज कर नागरिक को ऐसे खोजें गये तथ्यों को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक सूचना अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त सूचना का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। **सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की भी कोई गुंजाईश नहीं है।** इसलिए **उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर द्वारा दिनांक 24.12.2020 से जो उत्तर दिया गया है, वह सही है, उसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं हैं, इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज करने योग्य है।**

अतः उक्तानुसार अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। **आदेश की प्रति उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर को एवं अपीलार्थी को भी सूचनार्थ निर्णय की प्रति सूचनार्थ भिजवाई जावे।** पत्रावली बाद तरतीब़ तकमी़ल दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 26.08.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(महावीर प्रसाद वर्मा)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर